उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-11/2019/157 ई-2/तेरह-2019-22/2017
लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2109

शुद्धि पत्र

शासनादेश सं0-09/2019/45ई-2/तेरह-2019-22/2017, दिनांक 16 जनवरी, 2019 द्वारा कानपुर नगर स्थित मौका रेस्टोरेन्ट एवं होटल मनोज इंटरनेशनल को क्रमश: एफ0एल0-7 एवं एफ0एल0-6 (समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

2- शासनादेश दिनांक 16 जनवरी, 2019 के विषय में टंकण त्रुटिवश टंकित जनपद लखनऊ के स्थान पर जनपद कानपुर नगर पढ़ा जाए। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

संख्या-11/2019/157 ई-2/तेरह-2019-22/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।